



दिनांक 25.04.2024

प्रेस विज्ञप्ति 27/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद औरैया / थाना ऐरवाकटरा

- चोरी की घटना का अनावरण
 - 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 03 लाख 54 हजार 260 रुपये नगद
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक 25.04.2024 को थाना ऐरवाकटरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दोवा मोड़ तिराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1-अज्जू उर्फ अजहरुद्दीन 2-चांद बाबू उर्फ चन्दा को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 03 लाख 54 हजार 260 रुपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.04.2024 को थाना ऐरवाकटरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ऐरवाकटरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना ऐरवाकटरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अज्जू उर्फ अजहरुद्दीन निवासी कस्बा ऐरवाकटरा थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया।
- 2-चांद बाबू उर्फ चन्दा निवासी कस्बा ऐरवाकटरा थाना ऐरवाकटरा जनपद औरैया।

बरामदगी

- 1-चोरी के 03 लाख 54 हजार 260 रुपये नगद।
- 2-02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद चित्रकूट/थाना राजापुर

- 04 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 14 दो पहिया वाहन
- लूटा गया 01 मोबाइल फोन व 700/-रूपये नगद
- 07 मोबाइल फोन
- 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 25.04.2024 को थाना राजापुर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर तुलसी ढाबा के पास पशु बाजार से 04 अभियुक्तों 1-अंकित 2-बऊआ उर्फ सत्यांशू 3-उत्तम कुमार 4-नवनीत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 14 दो पहिया वाहन, लूटा गया 01 मोबाइल फोन, 700/-रूपये नगद व 07 मोबाइल फोन, 04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त अंकित के विरुद्ध जनपद बांदा, चित्रकूट के विभिन्न थानों पर लूट, वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग, अभियुक्त बऊआ उर्फ सत्यांशू के विरुद्ध जनपद चित्रकूट के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग व अभियुक्त उत्तम कुमार व नवनीत के विरुद्ध जनपद चित्रकूट के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा-आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना राजापुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अंकित निवासी ग्राम मऊ थाना मरका जनपद बांदा।
- 2- बऊआ उर्फ सत्यांशू निवासी ग्राम छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।
- 3-उत्तम कुमार निवासी लुधौरा बरेठी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट।
- 4-नवनीत निवासी ग्राम छीबो थाना राजापुर जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

- 1-चोरी की 14 दो पहिया वाहन।
- 2-लूटा गया 01 मोबाइल फोन व 700/-रूपये नगद।
- 3-07 मोबाइल फोन।
- 4-04 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद खीरी / थाना शारदानगर

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 09 अवैध नाल, 15 कारतूस विभिन्न बोर
 - अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक: 25.04.2024 को थाना शारदानगर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैराज होटल के पास से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 03 अभियुक्तों 1-कमाल 2-नुरुद्दीन 3-सज्जन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 09 अवैध नाल, 15 कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना शारदानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-कमाल निवासी ग्राम महादेव थाना शारदानगर जनपद खीरी।
- 2-नुरुद्दीन निवासी ग्राम बेहननपुरवा थाना शारदानगर जनपद खीरी।
- 3-सज्जन निवासी ग्राम हरसिंहपुर थाना निघासन जनपद खीरी।

बरामदगी

- 1-11 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2-09 अवैध नाल, 15 कारतूस विभिन्न बोर।
- 3-अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

➤ जनपद अलीगढ़/थाना सिविल लाइन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड)

जनपद अलीगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अलीगढ़ द्वारा थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201/394 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जावेद को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0—अन्तर्राज्यीय स्तर पर सिंथेटिक ड्रग्स तस्करी करने वाले गिरोह के 06 सदस्य गिरफ्तार, भारी मात्रा में तैयार सिंथेटिक ड्रग्स (Mephedrone) एवं 20 किग्रा सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के कैमिकल (Raw materials) (कुल अनुमानित मूल्य लगभग 20.18 करोड़ रुपये) बरामद।

दिनांक 25-04-2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को ठाणे (महाराष्ट्र) क्राइम ब्रान्च पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही में सिंथेटिक ड्रग्स बनाकर अन्तर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाले गिरोह के 06 सदस्यों को भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स Mephedrone, तथा इसे तैयार करने के 20 कि0ग्रा0 कैमिकल (Raw materials) (अनुमानित मूल्य लगभग 20.18 करोड़ (बीस करोड़ अठ्ठारह लाख रुपये) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1— संदीप तिवारी पुत्र इन्द्रजीत तिवारी निवासी पाली, थाना बरसठी, जनपद जौनपुर वर्तमान पता— 1107 रुद्रा अपार्टमेंट, निकट जमुना सेवा सदन हास्पिटल, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी।
- 2— ललित पाठक पुत्र राकेश चन्द्र पाठक, निवासी होलापुर, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी।
- 3— अनिल जायसवाल पुत्र शिवाश्रय निवासी रूम नं0 01, विनायक निवास चाल नगीना दास पाडा नाला सोपाडा ईस्ट महाराष्ट्र।

- 3- निलेश पाण्डेय पुत्र श्रीधर पाण्डेय निवासी 205 स्टार ज्वेलर्स श्रीनाथ जी नगर चलावापी गुजरात।
- 5- विजय पाल पुत्र राम प्रसाद पाल निवासी धनंजयपुर थाना बडागांव जनपद वाराणसी।
- 6- बिन्दु पटेल पुत्र जोखई पटेल निवासी धनंजयपुर थाना बडागांव जनपद वाराणसी।

बरामदगी:

- 1- 25 ग्राम नशीला सिंथेटिक ड्रग्स Mephedrone
- 2- 20 कि०ग्रा० नशीला सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करने का कैमिकल।
- 3- 02 हॉट एयर ओवन।
- 4- 02 अदद जार।
- 5- 02 Magnetic Laper.
- 6- 04 Mini ortark mixer.
- 7- 01 Sterror rod with moter.
- 8- 11 अदद मोबाइल फोन।
- 9- 01 अदद हुण्डई क्रेटा कार-एम०एच०-48सी०टी०-3108
- 10-01 अदद महिन्द्रा थार-एम०एच०-14जे०एम०-3000

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय:-

जनपद वाराणसी के थाना बडागांव क्षेत्रान्तर्गत औसानगंज के पास से दिनांक 24-04-2024 को समय 23.00 बजे। (क्र०सं० 1-2)

जनपद आजमगढ के थाना व कस्बा बरदह से दिनांक 25-04-2024 को समय 03.00 बजे सुबह। (क्र०सं० 3-6)

एस०टी०एफ०, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयों/टीमों द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

अभिसूचना संकलन के दौरान ठाणे (महाराष्ट्र) क्राइम ब्रान्च पुलिस द्वारा एस0टी0एफ0 से सम्पर्क कर थाना कसावडावली जिला ठाणे (महाराष्ट्र) में पंजीकृत मु0अ0सं0 186/2024 धारा 8सी/22बी/29 नारकोटिक्स एक्ट में वांछित अभियुक्तों/ड्रग्स तस्करों के जनपद वाराणसी व इसके आस-पास के जनपदों में लुकछिप कर रहने की सूचना साझा की गयी। साथ ही यह बताया गया कि उनके द्वारा यहाँ से सिंथेटिक ड्रग्स तैयार कर महाराष्ट्र में ले जाकर बेचा जा रहा है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही करते हुये दिनांक 16-03-2024 को ठाणे (महाराष्ट्र) क्राइम ब्रान्च पुलिस के साथ जनपद वाराणसी के थाना सिन्धोरा क्षेत्रान्तर्गत भगवतीपुर (मझवां) से सिन्थेटिक ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुये दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान इस गिरोह के अन्य सदस्यों का नाम प्रकाश में आया था, जिन्हें ठाणे (महाराष्ट्र) क्राइम ब्रान्च पुलिस द्वारा उन्हे भी अभियुक्त बनाया गया तथा उनकी गिरफ्तार हेतु एस0टी0एफ0 उ0प्र0 से सम्पर्क किया गया। इस वांछित अभियुक्तों के संबंध में अभिसूचना संकलन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि यह सभी जनपद वाराणसी एवं आस-पास के जनपदों में लुकछिप कर रह रहे हैं तथा सिन्थेटिक ड्रग्स तैयार कर अन्य राज्यों में बेच रहे हैं। इस सूचना के आधार पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एवं निरीक्षक अमित श्रीवास्तव के नेतृत्व में दो टीमों का गठन कर कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये थे। जिनके द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

इसी दौरान निरीक्षक अनिल कुमार सिंह एस0टी0एफ0 वाराणसी को विश्वस्त सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 16-03-2024 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा सिन्थेटिक ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ लिये जाने के कारण अब इस गिरोह द्वारा जनपद आजमगढ के थाना व कस्बा बरदह में सुप्रिया मोबाइल सेण्टर के अन्दर सिन्थेटिक ड्रग्स तैयार कर बेचा जा रहा है। इस जानकारी पर तत्काल एस0टी0एफ0 वाराणसी टीम द्वारा पुलिस निरीक्षक दिलीप पाटिल एवं सहा0 पुलिस निरीक्षक रूपाली क्राइम ब्रान्च यूनिट-1 ठाणे (महाराष्ट्र) को साथ लेकर सुप्रिया मोबाइल सेण्टर कस्बा व थाना बरदह जनपद आजमगढ से 04 अभियुक्तों (क्र0सं0 03-06) को गिरफ्तार किया गया।

निरीक्षक अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 वाराणसी को जरिये विश्वस्त सूत्र जानकारी प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 186/2024 धारा 8सी/22बी/29 नारकोटिक्स एक्ट थाना कसावडावली जिला ठाणे (महाराष्ट्र) में वांछित अभियुक्त संदीप तिवारी एवं ललित पाठक जनपद वाराणसी के थाना बडागांव क्षेत्रान्तर्गत औसानगंज के पास मौजूद हैं यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 वाराणसी टीम द्वारा पुलिस निरीक्षक योगेश अक्हाड क्राइम ब्रान्च यूनिट-2 भिवण्डी, ठाणे (महाराष्ट्र) की टीम को साथ लेकर ज्ञात स्थान से संदीप तिवारी एवं ललित पाठक उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

अभिसूचना संकलन एवं अभियुक्तों से पूछताछ में पाया गया कि दिनांक 16-03-2024 को एस0टी0एफ0 वाराणसी एवं क्राइम ब्रान्च ठाणे (महाराष्ट्र) द्वारा संयुक्त कार्यवाही के दौरान भगवतीपुर थाना सिंधोरा जनपद वाराणसी से सिंथेटिक ड्रग्स व फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुये दो अभियुक्तों (संतोष गुप्ता एवं अतुल सिंह) को गिरफ्तार कर लगभग 30 करोड रूपये अनुमानित मूल्य की तैयार सिंथेटिक ड्रग्स, इसे तैयार करने के कैमिकल व उपकरण बरामद किया गया था। इस कार्यवाही के उपरान्त उक्त गिरोह द्वारा कस्बा बरदह जनपद आजमगढ में लुकछिप कर सिंथेटिक ड्रग्स तैयार किया जा रहा था। कैमिकलों को सही अनुपात में मिलाने का काम संदीप तिवारी, विजय पाल एवं बिन्दू पटेल जानते हैं। संदीप तिवारी ने ही विजय पाल और बिन्दू पटेल को कैमिकल मिक्स करने का काम सिखाया था। मु0अ0सं0186/2024 धारा 8सी/22बी/29 नारकोटिक्स एक्ट थाना कसावडावली जिला ठाणे (महाराष्ट्र) में वांछित अभियुक्त ओम गुप्ता उर्फ मोनू गुप्ता पुत्र जय गोविन्द गुप्ता निवासी विनायक नगर नाला सोपारा मुम्बई (महाराष्ट्र) के सहयोगी अनिल जायसवाल व निलेश पाण्डेय सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करने के लिये वापी (गुजरात) के कैमिकल लैब की दुकानों से अवैध तरीके से कैमिकल प्राप्त कर विजय पटेल व बिन्दू पटेल को ड्रग्स तैयार करने के लिये उपलब्ध कराते हैं। इसके उपरान्त इनके द्वारा बरदह आजमगढ में सुप्रिया मोबाइल शाप के अन्दर सिंथेटिक्स ड्रग्स तैयार किया जाता है। सिंथेटिक ड्रग्स तैयार होने के उपरान्त महिला तस्कर सेमी उर्फ सविता श्यामलाल सरकार जो सेन्ट्रल मुम्बई में रहती है, वह फ्लाइट से आती है और

तैयार ड्रग्स को 08 लाख रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब खरीद ले जाती है। अभी विगत 04 दिन पहले 2.5 किग्रा सिन्थेटिक ड्रग्स लेकर गयी है और इसका पैसा मुम्बई में ही अनिल जायसवाल के भाई दिलीप जायसवाल को सेण्ट्रल मुम्बई में कैश में दिया है। सेमी उर्फ सविता ने 05 कि०ग्रा० सिन्थेटिक ड्रग्स तैयार कर उपलब्ध कराने के लिये एडवांस पैसे दी है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में दिनांक 04-08-2023 को सिन्थेटिक ड्रग्स बनाकर अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य संदीप तिवारी को उसके 04 साथियों सहित लगभग 1300 ग्राम नशीला सिन्थेटिक ड्रग्स Mephedrone (अनुमानित मूल्य 50 लाख रूपये) व .32बोर की अवैध पिस्टल के साथ जनपद वाराणसी के थाना शिवपुर क्षेत्रान्तर्गत इन्द्रपुरी इनक्लेव, कादीपुर से एस०टी०एफ० वाराणसी एवं नारकोटिक्स कण्ट्रोल ब्यूरो लखनऊ द्वारा गिरफ्तार किया गया था। जिस सम्बन्ध में एन०सी०बी० केस क्राइम नं०-17/2023 धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जमानत पर छूटने के बाद पुनः सिन्थेटिक ड्रग्स तैयार कर तस्करी करने लगा।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तों को ठाणे (महाराष्ट्र) पुलिस द्वारा थाना बडागांव जनपद वाराणसी एवं थाना बरदह जनपद आजमगढ में दाखिल किया गया है। मु०अ०सं० 186/2024 धारा 8सी/22बी/29 नारकोटिक्स एक्ट थाना कसावडावली जिला ठाणे (महाराष्ट्र) में मा० न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने की आवश्यक विधिक कार्यवाही ठाणे (महाराष्ट्र) पुलिस द्वारा की जा रही है।
